कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म०प्र०)

क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/193/2021 ग्वालियर, दिनांकः 27/03/2021

।। आ दे श ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

इस कार्यालय द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेश क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/169/2021 दिनांक 17.03.2021 एवं आदेश कमाक/क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/181/2021 दिनांक–25/03/2021 को अतिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ 35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल दिनांक 13.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021 एवं 26.03.2021 से प्राप्त दिशा निर्देशों तथा दिनांक 27.03.2021 को जिला स्तरीय क्राइसेस मेनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग में लिये गये निर्णय अनुसार ग्वालियर जिले में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत निम्नानुसार इकजाई आदेश पारित किया जाता है :–

1/ **लॉकडाउन –**

जिला ग्वालियर अन्तर्गत कोविड–19 पॉजिटिव केसेज की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर शहर सीमान्तर्गत आगामी आदेश तक **प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा,जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा, किन्तु** लॉकडाउन अवधि के दौरान निम्नानुसार सेवाऐं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी :–

(1) वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन पर आने एवं जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।

(2) दिनांक 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण संस्थान बंद रहेगा, लेकिन समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मियों को आने–जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।

(3) दिनांक 28.03.2021 को लॉक डाउन होने के कारण होली दहन तथा शब–ए–बारात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की अनुमति होगी, किन्तु उपरोक्त त्यौहारों के दौरान भीड़–भाड़, जुलूस, गैर, एवं एक स्थान पर समूह में एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(4) ग्वालियर शहर के केमिस्ट, राशन की उचित मूल्य की दुकानें, डेयरी प्रोडक्ट एवं खान–पान की दुकानें, पेट्रोल पंप उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(5) समस्त गैर–आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे।

(6) गैस एजेंसियों के माध्यम से होम डिलीवरी की जा सकेगी।

(7) जिला स्तरीय क्राइसेस मेनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग में लिये गये निर्णय अनुसार त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए फूल एवं गुलाल आदि की दुकानें चिन्हित स्थानों पर 28.03.2021 को दोपहर 03.00 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। इंसीडेंट कमांडर ड्यूटी लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु सतत् निगरानी रखेंगे।

(9) ग्वालियर व्यापार मेला से मेला समाप्त कर अपने–अपने स्थानो को सामान ले जाने वाले व्यापारियों/दुकानदारों एवं मालवाहक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(10) संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के आदेश क्रमांकः स्था/2021/1504 दिनांक 27/3/21 अनुसार दिनांक 28.03.2021 एवं 30.03.2021 को संयुक्त संचालक कार्यालय ग्वालियर खोला जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
ग्वालियर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

ग्वालियर (म.)

2/ **लॉकडाउन अवधि को छोडकर शेष अवधि में निम्नानुसार प्रतिबंध एवं छूट लागू रहेगी** :–

(1) ग्वालियर शहर में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त दुकाने एव अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खान–पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेस्टॉरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह **take away** भोजन प्रदाय कर सकेंगे।

(2) ग्वालियर जिले में होली के जुलूस/गैर/मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

(3) शादी समारोह में 50 तथा शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमाघर बंद रहेंगे।

(5) उठावना, मृत्यूभोज कार्यकम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

(6) बंद हॉल के कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।

(7) ग्वालियर जिले में खुले मैदान/स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक/ शैक्षणिक/ राजनैतिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यकम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, की पूर्वानुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(8) ग्वालियर जिला अन्तर्गत आयोजित जन सुनवाई के कार्यकम दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित रहेंगे।

3/ **यात्रियों का प्रवेश–**

(1) महाराष्ट्र राज्य से एयरपोर्ट पर आनेवाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की लेकर आने पर ही प्रवेश दिया जावे । ऐसे यात्रियों जिनके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनकी कोरोना टेस्टिंग एयरपोर्ट पर संबंधित अथोरिटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित समिति से कराना अनिवार्य होगा ।

(2) रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर महाराष्ट्र राज्य/इन्दौर/भोपाल के यात्रियों का थर्मल स्कीनिंग कराया जाना अनिवार्य होगा एवं तापमान अधिक पाये जाने पर कोविड टैस्ट करायी जावे।

(3) सड़क मार्ग से अन्य जिलों एवं राज्यों से आने वाले यात्रियों की इस जिले में बनाये गये सभी चैक प्वाइंटों पर थर्मल स्कीनिंग कराया जाना अनिवार्य होगा एवं तापमान अधिक पाये जाने पर कोविड टैस्ट करायी जावे।

यह कार्य नगर निगम आयुक्त, सीएमओ, इंसीडेंट कमांडर एवं उनके साथ संलग्न स्टॉफ द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त समस्त गतिविधियां संचालन हेतु कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार एवं माननीय न्यायालयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा जिनमें मुख्यतः

1– सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य–स्थलों, दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ओर परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन किये जाने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

2– सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित की जावे।

3– सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की दूरी रखी जाएगी।

4– सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में इकट्ठा होना/समामेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
ग्वालियर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर विभागीय वाहनों एवं अन्य माध्यमों से कोविड–19 हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको–टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं इंसीडेंट कमांडर उक्तादेश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करावेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः निर्वहन कराया जाना संभव नहीं है, अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपर संचालक जन संपर्क जिले में प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म.प्र.

पृ.कमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/193/2021 ग्वालियर, दिनांकः 27/03/2021
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर
5– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6– आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
8– समस्त अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर
9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी ग्वालियर
10– समस्त एसडीएम/तहसीलदार ग्वालियर
11– समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी/थाना प्रभारी जिला ग्वालियर
12– समस्त इंसीडेंट कमांडर
13– मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर
14– सिविल सर्जन ग्वालियर
15– जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर
16– पुलिस कन्ट्रोल रूम ग्वालियर
17– अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्तादेश इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करावें ।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म0प्र0

Scanned with CamScanner